न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—178/2019/223 (2019/00178)

1. शंकर पुत्र पीरू गुर्जर, निवासी घुघरा, तहसील व जिला अजमेर

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर ।

रेस्पोडेंट'

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कैम्प घूघरा, अजमेर दिनांक 15.7.2015 अंतर्गत वाद संख्या 136/2012.

उपस्थितः—

1. श्री अजीतसिंह राठौड़ एवं श्री निर्मल कुमार जैन, वकील अपीलांट ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 .

निर्णय

दिनांकः— 20.12.2019

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर के निर्णय एव डिक्री दिनांक 15.7.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत 88 राज0काश्त0अधि0 के तहत विरूद्ध प्रतिवादी पेश कर निवेदन किया कि मौजा घूघरा, तहसील व जिला अजमेर अवस्थित आराजी साबिक खसरा नंबर 1538 हाल खसरा नंबर 2187 रकबा 1—11—10 बारानी—2 होकर खसरा सन् फसली 1363, 1364, 1365 में छोगा वल्द माना गूर्जर मौरूसी काश्तकार दर्ज होकर काबिज काश्त चला आ रहा था एवं तत्पश्चात् उक्त आराजी पर बतौर शिकमी काश्तकार काबिज चला आ रहा था और छोगा वल्द माना गूर्जर की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर छोगा वल्द माना उक्त आराजी पर राज0काश्त0अधि0 प्रभाव में आने के पूर्व से बतौर मौरूसी काश्तकार एवं तत्पश्चात् बतोर शिकमी काश्तकार चले आने से उक्त अधि0 की धारा 15 व 19 के तहत कानूनन खातेदार हो गया है । मूल खातेदार छोगा वल्द माना गुर्जर ने अपने जीवनकाल में उक्त आराजी का वसीयतनामा दिनांक 27.5.1995 को वादी शंकर के हक में निष्पादित कर दिया ओर खातेदार छोगा वल्द माना गुर्जर दिनांक 23.4.1996 को फौत हो गया । भू—प्रबंध विभाग द्वारा बिना किसी आधार के विवादित आराजी को वर्किग जमाबंदी संवत् 0241 में सिवायचक खाते में दर्ज कर दिया जो इंद्राज प्रथम दृष्टया विधि विरूद्ध होकर निरस्तनीय है । वर्णित आराजी खातेदार छोगा वल्द माना गुर्जर की पुश्तैनी खातेदारी की आराजी रही है

तथा राजस्व अभिलेख वर्किंग जमाबंदी खसरा फसली सन् 1363 से 1365 में छोगा वल्द माना गुर्जर मौरूसी काश्तकार दर्ज है तत्पश्चात् के अभिलेख जमाबंदी संवत् 2024 से 2027 में छोगा वल्द माना शिकमी काश्तकार दर्ज है । भू–प्रबधं विभाग को इंद्राज परिवर्तन करने का विधिक अधिकार नहीं है । अत5 वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी को उपरोक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 15.7.2015 द्वारा वादी/अपीलांट का वाद खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । मौजा घूघरा, तहसील व जिला अजमेर अवस्थित आराजी साबिक खसरा नंबर 1538 हाल खसरा नंबर 2187 रकबा 1–11–10 बारानी–2 होकर खसरा सन् फसली 1363, 1364, 1365 में छोगा वल्द माना गूर्जर मौरूसी काश्तकार दर्ज होकर काबिज काश्त चला आ रहा था एवं तत्पश्चात् उक्त आराजी पर बतौर शिकमी काश्तकार काबिज चला आ रहा था और छोगा वल्द माना गूर्जर की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर छोगा वल्द माना उक्त आराजी पर राज0काश्त0अधि0 प्रभाव में आने के पूर्व से बतौर मौरूसी काश्तकार एवं तत्पश्चात् बतोर शिकमी काश्तकार चले आने से उक्त अधि0 की धारा 15 व 19 के तहत कानूनन खातेदार हो गया है । मूल खातेदार छोगा वल्द माना गुर्जर ने अपने जीवनकाल में उक्त आराजी का वसीयतनामा दिनांक 27.5.1995 को वादी शंकर के हक में निष्पादित कर दिया ओर खातेदार छोगा वल्द माना गुर्जर दिनांक 23.4. 1996 को फौत हो गया । भू–प्रबंध विभाग द्वारा बिना किसी आधार के विवादित आराजी को वर्किंग जमाबंदी संवत् 0241 में सिवायचक खाते में दर्ज कर दिया जो इंद्राज प्रथम दृष्टया विधि विरूद्ध होकर निरस्तनीय है। भू–प्रबंध विभाग को बिना किसी न्यायालय के आदशों के पूर्व इंद्राज को परिवर्तन करने का विधिक अधिकार नही था । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी खसरा गिरदावरी का अपने निर्णय में विवेचन एवं विश्लेषण नहीं कर विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य अनुसार अपीलांट के पूर्वज विवादित आराजी पर फसली संख्या 1363 से 1365 में मौरूसी काश्तकार काबिज होने से राज0काश्त0अधि0 की धारा 15 व 19 के तहत कानूनन खातेदार हो जाते है जिसका अधी0न्याया0 ने तनकी में विवेचन एवं विश्लेषण नहीं कर उक्त प्रावधानों के विपरीत एवं दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत अपीलांट की सुनवाई नहीं कर निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्ध है । अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय जाप्ता दीवानी आदेश 20 नियम 5 के प्रावधानों के विपरीत होकर निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे तथा वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आर0बी0जे0 2016 (2) पेज 292 एवं आर0आर0टी0 2017 (1) पेज 130 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये ।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । विवादित आराजी सिवायचक आराजी है जिस पर कब्जे काश्त के आधार पर

वादी/अपीलांट को किसी प्रकार के हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है। अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से वादी/अपीलांट का वाद निरस्त किया है जो विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अधी0न्याया0 के निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने वाद को निर्णित करने हेतु अनुतोष सहित 5 तनकियात कायम की है किन्तु अधी0न्याया0 ने निर्णय पारित करते समय अपने निर्णय में वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्या का विवेचन, विश्लेषण किये बिना निर्णित पारित किया है । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष अपने वाद के समर्थन में 1363 फसली, खसरा गिरदावरी जिसमें अपीलाधीन भूमि छोगा वल्द माणा गुर्जर की मौरूसी काश्तकारी की भूमि दर्ज है, इसी प्रकार 1364 फसली राजस्व अभिलेख में अपीलाधीन भूमि छोगा वल्द माणा गुर्जर की खुदकाश्त दर्ज है, 1365 फसली राजस्व अभिलेख में छोगा वल्द माणा गुर्जर की खुदकाश्त दर्ज है जो कि अजमेर टिनेन्सी एवं लैण्ड रिकार्ड एक्ट के तहत अपीलाधीन भूमि के काबिज काश्तकार रहे एवं धारा 15–बी राज0काश्त0अधि0 के तहत पूर्व अजमेर टिनेन्सी एक्ट के काश्तकारों को राज0काश्त0अधि0 के तहत खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये थे परन्तु हस्तगत प्रकरण में अपीलाधीन भूमि छोगा पुत्र माणा गुर्जर की खातेदारी दर्ज न कर अंतिम चौसाला जमाबंदी संवत् 2024 से 2027 में खातेदार के बजाय शिकमी काश्तकार दर्ज कर दिया गया जबकि खातेदारी दर्ज की जानी चाहिये थी। वर्किंग जमाबंदी में छोगा पुत्र माणा की भूमि को गलत रूप से सिवायचक दर्ज कर दी गई जबकि भू–प्रबधं अधिकारी को पूर्व प्रविष्टि को वर्तमान भू–प्रबधं अभिलेख में पुनरावर्ति का ही अधिकार है । किसी भी काश्तकार के काश्तकारी अधिकारों को समाप्त कर सिवायचक दर्ज करने का अधिकार भू–प्रबंध विभाग को नहीं है । छोगा पुत्र माणा द्वारा जरिये वसीयत दिनांक 27.5.1995 जो नोटेरी पब्लिक से सत्यापित है अपीलांट को वसीयत की गई है । वसीयतकर्ता छोगा का स्वर्गवास दिनांक 23.4.1996 को होने से छोगा के हक व अधिकार अपीलांट को प्राप्त हो गये है । अपीलांट द्वारा खसरा गिरदावरी संवत् 2063 से 2065, जमाबंदी खेवट खतौनी ग्राम घूघरा संवत् 2024 से 2027, खसरा गिरदावरी संवत् 2015 से 2018, 2020, 2021 से 2024,2025 से 2028, 2034 से 2037, 2043 से 2046,2047 से 2050 में छोगा पुत्र माणा गुर्जर का अपीलाधीन भूमि पर लगातार कब्जा काश्त होना जाहिर होता है। अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांटस द्वारा उपरोक्त राजस्व अभिलेख एवं वसीयतनामा आदि दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये थे किन्तु अधी0न्याया0 ने निर्णय पारित करते समय अपने निर्णय में कहीं भी इन राजस्व दस्तावेजी साक्ष्यों, वसयीतनामा संबंध में किसी प्रकार का विवेचन, विश्लेषण नहीं किया गया है । अधी0न्याया0 को अपने निर्णय में उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्यों को मानने या नहीं मानने के संबंध में स्पष्ट विवेचन करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर सरसरी तौर पर वाद खारिज करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्या0), अजमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.7.2015 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट/वादी को

साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वाद को पुनः गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 20.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर